BIADA
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004
Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक 2382/डी दिनांक 19.05.2016 के द्वारा सर्वश्री किसान सेवा केन्द्र को औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में आवंटित भू-खण्ड संख्या डी०-12 रकवा 10170 वर्गफीट भूमि का हस्तानांतरण सर्वश्री उत्तम पाईप प्रा० लि० के पक्ष में फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं पेवर ब्लॉक के उद्योग स्थापनार्थ सशर्त किया गया। शाखा कार्यालय पत्रांक 50 दिनांक 06.04.2019 द्वारा इकाई परिसर में औद्योगिक गतिविधि नहीं होने के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र निर्गत किया गया।

दिनांक 14.12.2019 को क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि इकाई को आवंटित भू-खण्ड डी०-12 रकवा 10170 वर्गफीट में लगभग 7500 वर्गफीट पर निर्मित शेड/भवन में बिहार ट्रेड टावर के कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इकाई को शाखा कार्यालय पत्रांक 302 दिनांक 20.12.2019 द्वारा उत्पादन कार्य बंद रखने एवं भू-खण्ड संख्या डी०-12 में बिहार ट्रेड टावर के कार्यालय का संचालन किये जाने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया।

कार्यालय पत्रांक 7364/डी दिनांक 31.12.2019 द्वारा इकाई को आवंटित/हस्तानांतरित भू-खण्ड पर गैर-औद्योगिक कार्य बिहार ट्रेड टावर के कार्यालय का संचालन बंद करने, निबंधित उत्पाद का उत्पादन एवं बकाये भुगतान करने के संबंध में अंतिम नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 15.02.2020 एवं दिनांक 27.05.2020 को क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में भू-खण्ड संख्या डी०-12 में अनाधिकृत रूप से बिहार ट्रेड टावर के कार्यालय के रूप में उपयोग करते हुए पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राधिकार द्वारा सारी औपचारिकतायें पूरी किये जाने के बावजूद इकाई द्वारा उद्योग को सुचारू रूप से संचालित करने में कोई अभिरूची नहीं रही। केवल औद्योगिक क्षेत्र के भूमि को कब्जे मात्र में रखा गया है एवं इकाई को आवंटित भू-खण्ड संख्या डी०-12 रकवा 10170 पर प्राधिकार का अद्यतन बकाया मो०- 39,31,062/-(उनतालीस लाख इकत्तीस हजार बासठ रूपये मात्र) का भी भुगतान लम्बे अवधि से कार्यालय को अप्राप्त रहा है। अतः बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत प्राधिकार भूमि मद में जमा की गई राशि को जब्त करते हुए इकाई सर्वश्री उत्तम पाईप प्रा० लि० को हस्तातरित भू-खण्ड डी०- 12 रकवा 10170 वर्गफीट का आवंटन रद्द की जाती है।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 01.06.2020

ह०/-
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक:- 1562/D **दिनांक:-** 02/06/2020

प्रतिलिपि:- सर्वश्री उत्तम पाईप प्रा० लि०, भू-खण्ड संख्या डी०-12., औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना-800013/क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा/आई०टी० बियाडा, पटना /लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्र०नि० कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.06.20
कार्यकारी निदेशक।